

कार्ड का नाम:- मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं०- 786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराला के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लक्ष्मियार से (समरजेन्स रोड) से मुवाणी खानी खुंखरा रोड लम्बाई 4.900 कि०मी० के निर्माण हेतु बांछित वन भूमि 2.240 है० लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

Non Encumbrance Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वयनित भूमि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत मौजा लूहन ग्राम लोहारना में खाला सं० 65 के खसरा नम्बर 35 अर्जित रकबा 1.620 है०, खसरा नम्बर 36 अर्जित रकबा 1.620 है०, खसरा नम्बर 37 अर्जित रकबा 0.500 है० व खसरा नम्बर 38 अर्जित रकबा 0.740 है० कुल अर्जित रकबा 4.480 है० को कालसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा विभाग को आवंटित नहीं किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वयनित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख०ल०नि०वि०
साहिवा

सहायक अभियन्ता
अ०ख०ल०नि०वि०
साहिवा

अधियासी अभियन्ता
अ०ख०ल०नि०वि०
साहिवा

राजपद उपनिरीक्षक
25/10/18

तहसीलदार
कालसी
कालसी